उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या–09 / 2021

सत्यरंजन पोद्दार बनाम् क्षितिश चन्द्र पोद्दार वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/09/2021		

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सत्यरंजन पोद्दार, पिता–महेश चन्द्र पोद्दार, निवास ग्राम–गोला, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ द्वारा U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अर्न्तगत दिनांक–29.01.2021 को दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर सुनवाई हेतु वाद में बनाये गये विपक्षीगण को अपना पक्ष एवं दावा–दस्तावेज रखने हेतु दिनांक–03.03.2021 को न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया।

उक्त निर्गत नोटिस के आलोक में दिनांक–18.08.2021 को विपक्षी क्रमांक–05, 06 एवं 07 की ओर से वकालतनामा के साथ उपस्थिति दर्ज करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर वाद के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर बहस सुनने हेतु अनुरोध किया गया, जिसका समर्थन न्यायालय में उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा किया गया। इस बावत् आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है।

विपक्षी क्रमांक–05, 06 एवं 07 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के अनुरोध पर तथा आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अर्न्तगत को दायर आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों तथा बहस के दौरान उभय पक्षों की ओर से उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P.(C) No.-5159/2019 Satya Ranjan Poddar Vrs. The State of Jharkhand & Others में दिनांक–02.03.2020 को पारित आदेश है कि "respondent no. 2 shall appoint Additional Collector, Ramgarh to make an enquiry in the matter. While making enquiry, the Additional Collector, Ramgarh shall provide due opportunity of hearing to the petitioner, respondent nos. 6 and 7 and any other party who may be affected by the said enquiry. After the said enquiry, the report shall be placed before the respondent no. 2 who shall take appropriate decision in the matter in accordance with law."

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जाँच के क्रम में ही विपक्षीगण द्वारा निबंधित केवाला संख्या–129, दिनांक–30.07.2020 से विवादित भूमि का बिक्रेता–क्रेता के बीच खरीद–बिक्री किया गया है, जो नियम एवं माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना है। आवेदन के साथ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची का परिपत्र संख्या–(स०स०–15 / नि०(विविध) जन–आवेदन–04 / 16–930, दिनांक–21.09.2016 की प्रति समर्पित करते हुए दायर आवेदन पर कार्रवाई के निमित्त वाद अंगीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी (क्रमांक–05, 06 एवं 07) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन में उल्लेखित धारा अर्थात U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अन्तर्गत राहत (Relief) हेतु अनुरोध किया गया है, जो पोषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त धारा अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्रवाई के निमित यह न्यायालय सक्षम नहीं है। उक्त धारा में प्रावधान है कि – **U/S-82 Penalty for making false statements delivering false copies or translations, false personation, and abetment-whoever-**

(a) intentionally makes any false statement, whether on oath or not, and whether it has been recorded or not, before any officer acting in execution of this Act, in any proceeding or enquiry under this Act; or

(b) intentionally delivers to a registering officer, in any proceeding under section 19 or section 21, a false copy or translation of a document, or a false copy of a map or plan; or

(c) falsely personates another, and in such assumed character presents any document, or makes any admission or statement, or causes any summons or commission to be issued, or does any other act in any proceeding or enquiry under this Act; or

(d) abets anything made punishable by this Act

U/S-83 Registering officers may commerce prosecutions. –

(1) A prosecution for any offence under this Act coming to the knowledge of a registering officer in his official capacity may be commenced by or with the permission of the Inspector- General, the Registrar or the Sub-Registrar, in whose territories, district or sub-district, as the case may be, the offence has been committed.

(2) Offences punishable under this Act shall be triable by any Court or officer exercising powers not less than those of a Magistrate of the second class.

विपक्षी (क्रमांक–05, 06 एवं 07) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अन्तर्गत दायर आवेदन पोषणीय नहीं होनें के कारण अस्वीकृत करने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आवेदक द्वारा U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के तहत् दायर आवेदन पोषणीय एवं स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि निबंधित केवाला के तहत् किसी भूमि का हस्तान्तरण होनें एवं उक्त हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आदेश/निर्देश पारित करने हेतु यह न्यायालय (उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय) सक्षम प्राधिकार न्यायालय अन्तर्गत नहीं आते है। बहस के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा न्यायालय को बताया गया कि उक्त धारा अन्तर्गत दायर आवेदन में राहत (Relief) के निमित्त आदेश/निर्देश पारित करने हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय सक्षम प्राधिकार न्यायालय है।

निष्कर्ष :–

उभय पक्षों की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा बहस के दौरान उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि –

(1)– निबंधित केवाला संख्या–129, दिनांक–30.07.2020 से बिक्रेता–क्रेता के बीच हस्तान्तरण भूमि के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के तहत् यह वाद दायर किया गया है।

(2)– विपक्षी (क्रमांक–05, 06 एवं 07) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का आपत्ति है कि U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अर्न्तगत राहत (Relief) हेतु दायर आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त धारा अन्तर्गत निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तान्तरित भूमि पर निर्णय लेनें हेतु व्यवहार न्यायालय सक्षम है, जबकि आवेदक के द्वारा उक्त निबंधित केवाला के विरूद्ध उपायुक्त का न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो नियम एवं प्रावधान के विपरीत है।

(3)– विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष संज्ञान में लाया गया कि निबंधित केवाला के माध्यम से किसी भूमि का हस्तान्तरण होनें पर U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के तहत् दायर आवेदन पर निर्णय एवं आदेश/निर्देश पारित करने हेतु उपायुक्त का न्यायालय सक्षम प्राधिकार न्यायालय अन्तर्गत नहीं आते है। माननीय व्यवहार न्यायालय सक्षम प्राधिकार न्यायालय अन्तर्गत आते है।

(7)

आदेश :–

विद्वान सरकारी अधीवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए, उक्त परिप्रेक्ष्य में U/S-82 & 83 of The Registration Act 1908 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा दिनांक–29.01.2021 को दायर आवेदन पोषणीय नहीं होनें के कारण प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

01.9.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

01.9.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2021.09.28 11:59:41 +05:30
Location: 192.168.0.5